झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1350 वर्ष 2017

विजय प्रसाद, पे0 रामखेलावन महतो .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. आयुक्त–सह–सचिव, मानव संसाधन विभाग, रांची
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, रांची
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू डिवीजन, पलामू
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति (डॉ0) श्री एस0एन0 पाठक

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री एस0के0 सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0

6/30.08.2017 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची द्वारा तत्काल रिट याचिका प्रत्यर्थी सं0 3 द्वारा ज्ञापन संख्या 2/बी1–122/2004/1641, दिनांक 01.08.2006 के तहत जारी पत्र को रद्द करने के लिए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत याची के 25% वेतन की हर महीने कटौती करने का निर्देश दिया गया है और आगे यह भी अनुरोध किया गया कि प्रत्यर्थियों को मई 2004 से अभी तक की अवधि के लिए 25% कटौती की गई वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि याची को ज्ञापन संख्या 51/80, दिनांक 10.05.1980 द्वारा स्कूल की तत्कालीन प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे अब परियोजना हाई स्कूल, कसमर, तरहाशी के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद में क्षेत्रीय उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची द्वारा अनुमेदित किया गया, जो 01.01.1982 से प्रभावी था। उनकी नियुक्ति पलामू के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ज्ञापन संख्या 223034, दिनांक 15.04.1983 के माध्यम से भी अनुमोदित की गई है। बिहार सरकार ने गैर–सरकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार) अधिनियम, 1981 के तहत स्कूल का अधिग्रहण किया था और उसके बाद से स्कूल को सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रोजेक्ट हाई स्कूल के रूप में जाना जाता है।

विभाग द्वारा वर्ष 1980–81 में परियोजना हाई स्कूल के सहायक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में एक जांच की गई थी। समिति ने ज्ञापन संख्या 3082, दिनांक 13.07.2001 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 15.05.1980 को नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता ने बी0टी0 से आई0ए0 किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि जांच समिति की गलत धारणा के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा ज्ञापन संख्या 2/बी 1–1222/2004/1641, दिनांक 01.08.2006 जारी किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत हर महीने याचिकाकर्ता के 25% वेतन की कटौती करने का निर्देश दिया गया है। पूर्वोक्त से व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने जांच समिति के गलत निष्कर्षों को सुधारने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन सुधार नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया

गया है कि यहां तक कि विभागीय जांच भी वर्ष 2004 से लंबित है, जिससे याची को अपूरणीय हानि और चोट पहुंची है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जांच रिपोर्ट ऊपर–ऊपर देखने में ही गलत लगती है और इसलिए, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। याची ने वर्ष 1981 में अपना बी0ए0 और वर्ष 1976 में बी0टी0 पूरा किया था, अर्थात प्रश्नगत स्कूल में कार्यभार संभालने से पहले और इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत प्रस्तुतीकरण नहीं था और उसे स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा उचित रूप से नियुक्त कियाय गया था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याची 01.01.1982 से सहायक शिक्षक के पद के लिए सभी मानदंडों को पूरा करता है और सहायक शिक्षक के पद के लिए याची की पात्रता के बारे में जांच समिति की कुछ गलतफहमी के कारण, गलत निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे उसका अनावश्यक उत्पीड़न हुआ है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इसी प्रकार स्थित व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है और याचियों को पूरा वेतन मिल रहा है।

5. प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। श्री अतनु बनर्जी, विद्वान जी0ए0 निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि इसी तरह के मुद्दे को पहले से ही इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 2290/2012 में तय किया गया है, जिसका निपटान प्रत्यर्थियों को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और इस बीच, याची को 100% वेतन जारी करने का निर्देश दे कर किया गया था। चूंकि याची की सेवानिवृत्ति तक जांच समाप्त नहीं हुई थी और इसलिए याची को जून 2004 से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि

के लिए 100% वेतन पाने का हकदार ठहराया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसी आधार पर त्रिवेणी सिंह द्वारा दाखिल डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5120/2011 को भी दिनांक 01.08.2013 को अनुमति दी गई थी।

6. पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और इसी प्रकार की स्थिति वाले व्यक्तियों के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटान किया जा रहा है। याची को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी सं0 3–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करे। यदि ऐसा अभ्यावेदन याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी सं0 3 उसके बाद के छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेगा और यदि याचिकाकर्ता वेतन की बकाया राशि के साथ–साथ वर्तमान वेतन और अन्य पारिणामिक लाभों जैसा कि उसने दावा किया है, के लिए हकदार पाया जाता है, तो उसे उसके बाद के चार सप्ताह की अवधि के भीतर दिया जा सकता है।

7. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]